



HAMIRPUR POLICE



दिनांक-09-10-2020

थाना मुस्करा

हत्या का अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 08/09/2020 को श्री राकेश कुमार तिवारी पुत्र स्व० कृष्णदत्त तिवारी व उनके भाई हरिओम तिवारी पुत्र स्व० कृष्णदत्त तिवारी निवासीगण ग्राम चिल्ली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर द्वारा थाना मुस्करा पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 07.10.2020 की रात्रि आरोपी प्रेमप्रकाश पुत्र श्यामसुन्दर निवासी ग्राम चिल्ली के घर में मेरे भाई महेश तिवारी की मृत्यू हो गयी है। जिसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना मुस्करा पर आरोपी प्रेमप्रकाश पुत्र श्यामसुन्दर निवासी ग्राम चिल्ली थाना मुस्करा जनपद हमीरपुर के विरुद्ध मु०अ०सं०-240/20 धारा 304 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया।

इस घटना की जाँच व गिरफ्तारी हेतु लगायी गयी पुलिस टीम द्वारा सफल घटना का अनावरण करते हुए उपरोक्त अभियुक्त प्रेम प्रकाश पुत्र श्यामसुन्दर को गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ की गयी तो उक्त आरोपी प्रेमप्रकाश तिवारी द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोग साथी थे, मैं उसके साथ अपने घर में अकेले ही था तो मैंने सोचा कि इसको अपने घर से बाहर करके उसके घर भेज दूँ परंतु वह घर से बाहर नहीं जा रहा था उसी हाथापाई व धक्का-मुक्की में मेरे हाथ से उसकी गर्दन सामने की तरफ दब गई तथा अनजाने में ज्यादा गर्दन दब जाने से थोड़ी देर बाद महेश तिवारी वही कमरे में ही फर्श पर गिर गया तो मैंने उसके मुंह पर थोड़ा पानी डालकर होश में लाने का प्रयास किया लेकिन उसके होश में ना आने पर मैं घबरा गया, मेरी उससे कोई रंजिश नहीं है। मैंने उसे जान बूझकर नहीं मारा है। उपरोक्त अभियुक्त को धारा-304 आईपीसी से अवगत कराते हुए गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 265/17 धारा 498ए/323 आईपीसी व 3/4 डी०पी० एक्ट थाना मुस्करा जिला हमीरपुर
2. मु०अ०सं० 240/20 धारा 304 आईपीसी थाना मुस्करा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री बाँके बिहारी सिंह
2. उनि० श्री कम्बोद सिंह
3. का० पंकज मौर्य
4. का० अभिषेक दीक्षित

